जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : प–2(ई.सी.227)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2020/डी– 19 दिनांक : 29.1.2020

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 227वीं बैठक दिनांक 27.01.2020 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	227.1	कार्यकारी समिति की 226वीं बैठक दिनांक 05.09.2019 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 226वीं बैठक दिनांक 05.09.2019 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं निर्णयों की क्रियान्विति पर संतोष प्रकट किया गया।	
2.	227.2	Regarding adding a new point in item 4(c) of JDA SOP to deal cases requiring withdrawal in individual work orders issued under a rate contract tender.	विचार–विमर्श पश्चात एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार कार्यादेश में संशोधन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस सम्बन्ध में संशोधित SOP हेतु कार्यालय आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
3.	227.3	राजस्थान आवासन मंण्डल ग्राम	निदेशक (नगर आयोजना) द्वारा विस्तार से	निदेशक

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		सिरोली जयपुर की अवाप्तशुदा भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 में दर्शित पब्लिक-सेमीपब्लिक (रिक्रियेशनल, आंशिक इकॉलोजिकल एवं आंशिक वॉटर बोडी का उपयोग यथावत रखते हुए) से कमिटमेंट के आधार पर आवासीय माने जाने के संबंध में।	एजेण्डा के तथ्यों से समिति को अवगत कराया गया। प्रकरण में विचार-विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जावे जिसमें उपायुक्त जोन-9 भी शामिल हों। यह कमेटी जविप्रा कार्यालय में राजस्थान आवासन मण्डल के अधिकारियों के साथ चर्चा कर मौका निरीक्षण करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के साथ प्रकरण कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	(नगर आयोजना)
4.	227.4	जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 1984 की अनुसूची संख्या-I प्रशासनिक सेवा की द्वितीय श्रेणी सेवा में क्रम संख्या-1 पर	विचार विमर्श पश्चात अधिशाषी अधिकारी के वेतनमान पे ग्रेड-5400/- को राज्य सरकार के अधीनस्थ सेवाओं के अनुरूप संस्थापन अधिकारी ग्रेड पे-6000/- के समान करने हेतु अनुशंषा सहित राज्य	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		उल्लेखित अधिशाषी अधिकारी के वेतमान ग्रेड–पे–5400/– को राज्य सरकार के अधीनस्थ सेवाओं के अनुरूप संस्थापन अधिकारी ग्रेड–पे–6000/– के समान करने बाबत्।	सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	
5.	227.5	मनीष कुमार वर्मा के आवासीय भूखण्ड संख्या एल/1 कॉर्नर शिव एनक्लेव द्वितीय ईडब्ल्यूएस के नियमतिकरण के सम्बन्ध में।	विचार–विमर्श पश्चात डिस्पोजल ऑफ अरबन लेण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में नज़राना राशि दो वर्ष पूर्व जमा करवाए जाने के कारण आवेदक द्वारा ब्याज एवं पैनल्टी की राशि जमा करवाने की शर्त पर उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में लागू कार्यालय आदेश द्वारा 06 माह का विलम्ब उपायुक्त जोन के स्तर पर, 01 वर्ष का विलम्ब सचिव	उपायुक्त–8

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			जविप्रा के स्तर पर एवं 02 वर्ष तक का विलम्ब कार्यकारी समिति के स्तर पर नियमित किया जाता है। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि भविष्य में नज़राना राशि 01 वर्ष से 02 वर्ष तक की अवधि के विलम्ब से जमा करवाने के प्रकरण जयपुर विकास आयुक्त के स्तर पर नियमित किए जावेंगे। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक आदेश जारी किए जावें।	
6.	227.6	श्रीमती ममता कुमावत के ग्राम राम नगरिया तह. सांगानेर के ख. नं. 212, 213 टाउनशिप पॉलिसी 2010 में स्थित फ्लैट संख्या ई/1/1 (ईडब्ल्यूएस) के नियमितीकरण के सम्ब्ध में।	विचार–विमर्श पश्चात डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में नज़राना राशि दो वर्ष पूर्व जमा करवाए जाने के कारण आवेदक द्वारा ब्याज एवं पैनल्टी की राशि जमा करवाने की शर्त पर उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त–9

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
7.	227.7	ग्राम बूड़थल तह. बस्सी के 627, 628, 745, 1042 गैर मुमकीन आवादी में ग्राम पंचायत बॅडथल, तह. बस्सी द्वारा जारी किये गये पट्टो के बदले भूखण्ड आवंटन बाबत्।	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में वर्णित समस्त भूखण्डधारियों को रिंग रोड परियोजना में पंचायत समिति, बस्सी द्वारा जारी पट्टों के बदले के भूखण्ड आवंटन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त-9
8.	227.8	श्री राधेश्याम महरवाल को सांगानेर फ्लाईओवर से प्रभावित व्यावसायिक दुकान संख्या 19 के नियमतिकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात डिस्पोजल ऑफ अरबन लेण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में नज़राना राशि 16 वर्ष पश्चात जमा करवाए जाने के कारण प्रकरण को कारण सहित स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त-9
9.	227.9	श्री सुरेश के आवास संख्या 78/5, साईट एण्ड सर्विस योजना, मालवीय नगर जयपुर के	विचार-विमर्श पश्चात डिस्पोजल ऑफ अरबन लेण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक समय पश्चात जमा	उपायुक्त-10

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		नियमतिकरण के सम्बन्ध में।	करवाए जाने के कारण प्रकरण को कारण सहित स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। एजेण्डा संख्या 227.9 से 227.14 तक के प्रकरण एक ही योजना एवं समान प्रकृति के हैं, अतः जोन उपायुक्त द्वारा उक्त समस्त प्रकरणों का इकजाई केस बनाकर भेजा जावे। उपायुक्त जोन को निर्देश दिए जाते हैं कि योजना में समान प्रकृति के यदि कोई अन्य प्रकरण लम्बित हों तो उन्हें भी इन 05 प्रकरणों के साथ विवरण सहित शामिल कर राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जावे।	
10.	227.10	श्री कैलाश चन्द्र के आवास संख्या 90/3, साईट एण्ड सर्विस योजना, मालवीय नगर जयपुर के नियमतिकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात डिस्पोजल ऑफ अरबन लेण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक समय पश्चात जमा	उपायुक्त-10

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			करवाए जाने के कारण प्रकरण को कारण सहित स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। एजेण्डा संख्या 227.9 से 227.14 तक के प्रकरण एक ही योजना एवं समान प्रकृति के हैं, अतः जोन उपायुक्त द्वारा उक्त समस्त प्रकरणों का इकजाई केस बनाकर भेजा जावे। उपायुक्त जोन को निर्देश दिए जाते हैं कि योजना में समान प्रकृति के यदि कोई अन्य प्रकरण लम्बित हों तो उन्हें भी इन 05 प्रकरणों के साथ विवरण सहित शामिल कर राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जावे।	
11.	227.11	श्री जंगी सिंह के आवास संख्या 127/1, साईट एण्ड सर्विस योजना, मालवीय नगर जयपुर के नियमतिकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात डिस्पोजल ऑफ अरबन लेण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक समय पश्चात जमा	उपायुक्त-10

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			करवाए जाने के कारण प्रकरण को कारण सहित स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। एजेण्डा संख्या 227.9 से 227.14 तक के प्रकरण एक ही योजना एवं समान प्रकृति के हैं, अतः जोन उपायुक्त द्वारा उक्त समस्त प्रकरणों का इकजाई केस बनाकर भेजा जावे। उपायुक्त जोन को निर्देश दिए जाते हैं कि योजना में समान प्रकृति के यदि कोई अन्य प्रकरण लम्बित हों तो उन्हें भी इन 05 प्रकरणों के साथ विवरण सहित शामिल कर राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जावे।	
12.	227.12	श्री हरविन्दर सिंह के आवास संख्या 127/3, साईट एण्ड सर्विस योजना, मालवीय नगर जयपुर के नियमतिकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात डिस्पोजल ऑफ अरबन लेण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक समय पश्चात जमा	उपायुक्त-10

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			करवाए जाने के कारण प्रकरण को कारण सहित स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। एजेण्डा संख्या 227.9 से 227.14 तक के प्रकरण एक ही योजना एवं समान प्रकृति के हैं, अतः जोन उपायुक्त द्वारा उक्त समस्त प्रकरणों का इकजाई केस बनाकर भेजा जावे। उपायुक्त जोन को निर्देश दिए जाते हैं कि योजना में समान प्रकृति के यदि कोई अन्य प्रकरण लम्बित हों तो उन्हें भी इन 05 प्रकरणों के साथ विवरण सहित शामिल कर राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जावे।	
13.	227.13	श्री रोशन सिंह के आवास संख्या 127/4, साईट एण्ड सर्विस योजना, मालवीय नगर जयपुर के नियमतिकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात डिस्पोजल ऑफ अरबन लेण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक समय पश्चात जमा	उपायुक्त-10

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			करवाए जाने के कारण प्रकरण को कारण सहित स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। एजेण्डा संख्या 227.9 से 227.14 तक के प्रकरण एक ही योजना एवं समान प्रकृति के हैं, अतः जोन उपायुक्त द्वारा उक्त समस्त प्रकरणों का इकजाई केस बनाकर भेजा जावे। उपायुक्त जोन को निर्देश दिए जाते हैं कि योजना में समान प्रकृति के यदि कोई अन्य प्रकरण लम्बित हों तो उन्हें भी इन 05 प्रकरणों के साथ विवरण सहित शामिल कर राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जावे।	
14.	227.14	श्री रामप्रसाद हरिजन के आवास संख्या 58/1, साईट एण्ड सर्विस योजना, मालवीय नगर जयपुर के नियमतिकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात डिस्पोजल ऑफ अरबन लेण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक समय पश्चात जमा	उपायुक्त-10

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			करवाए जाने के कारण प्रकरण को कारण सहित स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। एजेण्डा संख्या 227.9 से 227.14 तक के प्रकरण एक ही योजना एवं समान प्रकृति के हैं, अतः जोन उपायुक्त द्वारा उक्त समस्त प्रकरणों का इकजाई केस बनाकर भेजा जावे। उपायुक्त जोन को निर्देश दिए जाते हैं कि योजना में समान प्रकृति के यदि कोई अन्य प्रकरण लम्बित हों तो उन्हें भी इन 05 प्रकरणों के साथ विवरण सहित शामिल कर राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जावे।	
15.	227.15	श्री नूतन शर्मा का जविप्रा की आवासीय योजना मूर्तिकला विहार के भूखण्ड संख्या 530 के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार–विमर्श पश्चात डिस्पोजल ऑफ अरबन लेण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में नज़राना राशि दो वर्ष पूर्व जमा करवाए जाने के कारण	उपायुक्त–12

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			आवेदक द्वारा ब्याज एवं पैनल्टी की राशि जमा करवाने की शर्त पर उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया।	
16.	227.16	श्री वंदना आहुजा को आवंटित सहभागिता आवास योजना के आवास संख्या सी–5/जीएफ/5 का आवंटन बहाल कर लीजडीड जारी करने बाबत्।	विचार–विमर्श पश्चात डिस्पोजल ऑफ अरबन लेण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में ब्याज एवं पैनल्टी सहित शेष नज़राना राशि जमा करवाए जाने, प्रार्थीया द्वारा न्यायालय से प्रकरण विड्रो करने की शर्त के साथ प्रकरण को नियमितीकरण किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त–14
अन्य बिन्दू आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
17.	227.17	Ex post-facto approval of Bid Document for the "Consultancy work for construction of MLA flats at Vidhayak Nagar (west) Jaipur"	विचार–विमर्श पश्चात एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		as per Quality and cost based selection system (QCBS).		
18.	227.18	प्राधिकरण हेतु तीन नये वाहन क्रय करने की कार्यकारी समिति से कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	विचार–विमर्श पश्चात एजेण्डा में उल्लेखानुसार तीन नये वाहन क्रय करने एवं राशि रूपए 74,87,885.48 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
19.	227.19	जयपुर नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम महल तहसील सांगानेर के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 5,6,13 एवं 14 क्षेत्रफल 1411.11 वर्ग गज (1179.87 व.मी) योजना श्रीराम विहार का आवासीय से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत।	विषयाधीन प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया एवं निम्न तथ्य नोट किए गए :– प्रश्नगत भूखण्ड 60 मीटर राणा सांगा मार्ग मुख्य सड़क पर स्थित है एवं निजी खातेदारी की आवासीय योजना श्रीराम विहार में आवासीय भूखण्डों के पुनर्गठन पश्चात का क्षेत्रफल भूखण्ड 1179.87 वर्गमीटर है। भूखण्डों का जेडीए द्वारा	उपायुक्त जोन–9

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			आवासीय प्रयोजनार्थ लीजडीड जारी किया जा चुका है। आवेदक द्वारा उक्त पुनर्गठित भूखण्ड का आवासीय से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। मास्टर प्लान 2025 के डवलपपमेन्ट प्रमोशन एवं कन्ट्रोल रेगूलेशन के अनुसार आवासीय यूज जोन में पेट्रोल पम्प अनुज्ञेय गतिविधि है किन्तु भूखण्ड का आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा जारी होने की स्थिति में अनुज्ञेय गतिविधि हेतु भू उपयोग परिवर्तन अपेक्षित है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.10(35)UDH/3/2010 part दिनांक 20.07.2017 के तहत वृहद जनहित के प्रकरणों में भू उपयोग परिवर्तन अनुज्ञेय किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं एवं आदेश	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			दिनांक 23.05.2018 के तहत पेट्रोल पम्प आमजन की मूलभूत सुविधा है एवं व्यापक/वृहद जनहित में माना गया है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.10.2019 के तहत भू उपयोग के प्रकरणों में स्थानीय स्तर पर गठित समिति की अभिशंषा सहित प्रकरण को राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति में निर्णयार्थ प्रेषित किए जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। प्रश्नगत भूखण्ड श्रीराम विहार आवासीय योजना के भाग है तथापि मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2025 व जोनल डवलपमेन्ट प्लान में इस भूखण्ड के समीपवर्ती क्षेत्र को मिश्रित भू-उपयोग दर्शाया गया है तथा आवेदक को पेट्रोल पम्प हेतु Letter of Intent दिनांक	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			9.4.2019 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया है। एकीकृत भवन विनियम 8.2.2 (ज) के अनुसार भूखण्ड पेट्रोल पम्प हेतु तकनीकी मानदण्डों की पूर्ति करता है। प्रस्तावित भूमि 60 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है जो कि इस क्षेत्र की अन्य प्रमुख सड़कों– महल रोड व टोंक रोड को जोड़ती है तथा इस 60 मीटर चौड़ी सड़क की लम्बाई लगभग 4.50 किलोमीटर है जिस पर वर्तमान में कोई पेट्रोल पम्प संचालित नहीं है। इस क्षेत्र में नारायण हृदयालय अस्पताल, राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी व सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र आदि स्थित है। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र की आवश्यकता एवं व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रकरण को राज्य	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति में निर्णयार्थ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	
20.	227.20	Ratification of decision for approval of tender document for the work "Construction of Underpass at Haldighati Marg, Gen. Sagat Singh Marg, Jaipur Cantoment Area, Jaipur"	विचार–विमर्श पश्चात "Construction of Underpass at Haldighati Marg, Gen. Sagat Singh Marg, Jaipur Cantoment Area, Jaipur" के टेण्डर डॉक्यूमेंट में एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार पुष्टि किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
21.	227.21	सांगानेर फ्लाई ओवर से प्रभावित दुकानों व व्यावसायिक दुकान संख्या 18 श्री प्रेम बहादुर पुत्र श्री भवानी प्रसाद श्रीवास्तव को आवंटन की गई थी तत्पश्चात वारिसान द्वारा ईकरारनामा अनुसार हनुमान सहाय पत्र श्री गंगा सहाय को बेचान किया है। रामप्रसाद शर्मा पुत्र श्री	विचार–विमर्श पश्चात डिस्पोजल ऑफ अरबन लेण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक समय पश्चात जमा करवाए जाने के कारण प्रकरण को कारण सहित स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को	उपायुक्त जोन–9

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		सूर्यनारायण शर्मा द्वारा पट्टा आवंटन बाबत् निवेदन किया गया है।	प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	
22.	227.22	"Post facto approval for adding conditions in the tender for work of "Repairing of Road Pot Holes by Using Auto Mechanized Machine (ARC)"	विचार–विमर्श पश्चात "Repairing of Road Pot Holes by Using Auto Mechanized Machine (ARC)" की निविदा में एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार शर्त जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
23.	227.23	Agenda regarding ratification of approval of bid document for the work "Engaging Testing Lab for JDA in Jaipur City for the year 2020 to 2022 (Rate Contract."	विचार–विमर्श पश्चात "Engaging Testing Lab for JDA in Jaipur City for the year 2020 to 2022 (Rate Contract." के बिड डॉक्यूमेंट में एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार पुष्टि किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
24.	227.24	श्री चिरंजीलाल शर्मा पेंशनर द्वारा स्वयं के दोनों घुटनों के प्रत्यारोपण के इलाज के 1,82,160/– के भुगतान की	विचार–विमर्श पश्चात श्री चिरंजीलाल शर्मा पेंशनर द्वारा स्वयं के दोनों घुटनों के प्रत्यारोपण के इलाज के व्यय की राशि	निदेशक (वित्त)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		स्वीकृति के क्रम में।	रूपए 1,82,160/- के नियमानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।	
25.	227.25	Appeal to the Executive committee cum second appellate Authority Against Disqualification of the bid of M/s Sushila Trading Corporation for the work "License for operation and maintenance of 2-level underground parking complex at Ramniwas Garden, Jaipur.	एजेण्डा संख्या 227.25 के तहत मैसर्स सुशीला ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की द्वितीय अपीलांट अथॉरिटी एवं कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील में सुनवाई के दौरान मैसर्स सुशीला ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (अपीलांट) के प्रतिनिधि श्री प्रदीप यादव एवं मैसर्स अख्तर एन्टरप्राईजेट (रेस्पोन्डेन्ट नं. 3) के प्रोपराईटर श्री अख्तर हुसेन, अधिवक्ता श्री मनीष प्रियदर्शी, श्री राजेन्द्र मंगला एवं श्री इफ्तेकार अंसारी द्वारा कार्यकारी समिति के समक्ष उपस्थित हुये। मैसर्स सुशीला ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का पक्ष श्री प्रदीप यादव एवं श्री अख्तर एन्टरप्राईजेज का पक्ष श्री मनीष प्रियदर्शी द्वारा रखा गया। दोनों पक्षों की दलीलें	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			सुनने तथा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श के पश्चात द्वितीय अपीलांट अर्थॉरिटी एवं कार्यकारी समिति द्वारा पारित निर्णय 'परिशिष्ट–अ' पर संलग्न है, जो कि जारी कार्यवाही विवरण का भाग है।	
26.	227.26	श्रीमती तौफानी देवी पारिवारिक पेंशनर द्वारा स्वयं के इलाज के चिकित्सा बिल राशि रूपए 2,23,311/– के भुगतान की स्वीकृति के क्रम में।	विचार–विमर्श पश्चात श्रीमती तौफानी देवी पेंशनर द्वारा स्वयं के इलाज के व्यय की राशि रूपए 2,23,311/– के नियमानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (वित्त)
27.	227.27	भूखण्ड संख्या एन–9 मेटल कॉलोनी, अम्बाबाड़ी, जयपुर के सम्बन्ध में।	प्रकरण में उपायुक्त जोन–2 एवं परिवादी श्री रमेश कुमार नाटानी को विस्तार से सुना गया। उपायुक्त जोन–2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार यह बताया कि भूखण्ड संख्या एन–9, मेटल कॉलोनी क्षेत्रफल 290 वर्गमीटर का प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25.10.1991 को जरिए नीलामी बेचान किया गया। तत्पश्चात नवीन आवंटन पत्र	उपायुक्त (जोन–2)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			दिनांक 25.02.1993 को क्षेत्रफल 344.56 वर्गमीटर का जारी किया गया। दिनांक 16.09.1993 को कब्जा-पत्र 323.12 वर्गमीटर का जारी किया गया। कुल 323.12 वर्गमीटर में से उक्त भूखण्ड का रेडियस क्षेत्रफल 5.38 वर्गमीटर कम किए जाने पर भूखण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल 318.62 वर्गमीटर का संशोधित कब्जा पत्र दिनांक 15.09.1995 को जारी किया गया। जमा राशि में कार्यालय आदेश दिनांक 31.08.1995 के द्वारा रूपए 930/- लौटाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रभारी अधिकारी जोन-5 के पत्र दिनांक 23.08.1993 द्वारा प्रशासक नगर निगम जयपुर को पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया था कि "भूखण्ड संख्या एन-9, मेटल कॉलोनी,	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			अम्बाबाड़ी पर बाउण्ड्रीवाल बनाने के लिए श्री नाटानी को नहीं रोका जावे। बाउण्ड्रीवाल के पश्चात विधिवत भौतिक कब्जा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लिये जाने के पश्चात दिया जावेगा। तत्कालीन उपायुक्त जोन ए-2 के पत्रांक 1699 दिनांक 30.06.1998 के द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 18.06.1998 को जविप्रा द्वारा अतिक्रमण हटाया जा चुका है। अतः भूखण्ड का कब्जा दिनांक 18.06.1998 से प्राप्त होना माना जाता है। श्री नाटानी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भौतिक कब्जा संभलाने, पुनर्ग्रहण शुल्क माफ करने व लीज डीड जारी करने हेतु निवेदन किया जा रहा है। श्री नाटानी द्वारा पुनर्ग्रहण राशि माफ करने पर उनके द्वारा मांग की जा रही ब्याज राशि छोड़ने	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			हेतु दिनांक 16.04.2018 को लिखित सहमति दी गई थी जिस पर प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों सहित संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्रांक डी-2604 दिनांक 25.06.2018 के द्वारा निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था के सम्बन्ध में कोई निर्णय/निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल 318.62 व. मी. होना चाहिए जो कि वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार 327.49 व.मी. में चारदीवारी का निर्माण व टीनशैड कमरा होना पाया गया है। श्री नाटानी द्वारा कार्यकारी समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया कि नीलामी में भूखण्ड लेने के बाद भी पिछले 25 वर्ष से अधिक समय से भूखण्ड का भौतिक कब्जा एवं	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			लीजडीड लेने हेतु कार्यालय में उपस्थित हो रहा है, लेकिन उनके भूखण्ड का क्षेत्रफल प्राधिकरण द्वारा बार–बार बदल दिया जाता है एवं लीजडीड के अभाव में उन्हें बिजली, पानी का कनक्शन भी नहीं मिल रहा है। प्रकरण में समिति द्वारा विस्तार से विचार–विमर्श किया गया एवं यह पाया कि प्राधिकरण के रिकॉर्ड पर भी प्रार्थी को बार–बार अलग कब्जा पत्र जारी किये गए हैं। अतः प्रकरण में परिवादी एवं उपायुक्त जोन–2 को सुनकर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन–2 द्वारा श्री नाटानी को आवंटित भूखण्ड की नाप किया जाकर, आवश्यक संशोधन करते हुए औपचारिक कब्जा देकर लीज डीड जारी करने की कार्यवाई की जावे।	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
28.	227.28	Regarding Ex-post facto approval of counter offer and bid approval for the work of "Renewal of various roads in zone 2 area, JDA, Jaipur (ARC)."	विचार–विमर्श पश्चात एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

(अर्चना सिंह)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 227वीं बैठक दिनांक 27.01.2020 को प्रातः 11:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष 'मंथन' में श्री टी.रविकांत, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री टी.रविकांत	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्रीमती अर्चना सिंह	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3.	श्री आदित्य कुमार पारीक	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री रविन्द्र कुमार	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्री आर.के. विजयवर्गीय	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7.	श्री हृदेश कुमार शर्मा	संयुक्त शासन सचिव-तृतीय	नगरीय विकास विभाग राज.जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री बीरबल सिंह	अति. जिला मजिस्ट्रेट (शहर)	कलक्ट्रेट, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री सुनील सक्सैना	अति. मुख्य अभियंता-प्रथम	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
10.	श्री एस.के. राजपूत	अधीक्षण अभियंता (जे.सी.सी)	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
11.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	उप महा प्रबन्धक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
12.	श्री के.सी. चौधरी	अधिशाषी अभियंता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
13.	श्री वीरेन्द्र सिंह सुण्डा	निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री राजीव जैन	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
15.	श्रीमती श्रुति भारद्वाज	अति. आयुक्त (भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्रीमती शैफाली कुशवाहा	उपायुक्त जोन-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री अबू सुफियान चौहान	उपायुक्त जोन-4 एवं 9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री ओम थानवी	उपायुक्त जोन-10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्रीमती कुन्तल विश्नोई	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अति. मुख्य अभियंता-II	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री संजीव कुमार जैन	अधीक्षण अभियंता-X रिंग रोड	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री अजय गर्ग	अधीक्षण अभियंता-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23.	श्री अरूण शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता, (क्यू.सी-I)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री सुलील व्यास	अधिशाषी अभियन्ता-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्री अवधेश माथुर	अधिशाषी अभियन्ता (आरओबी/आरयूबी-II)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26.	श्री मोहित चौधरी	अधिशाषी अभियन्ता (आर.आर.पी-II)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
27.	श्री एस.आर. मीणा	उप निदेशक जनसम्पर्क	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
28.	श्रीमती शबनम खान	सहायक नगर नियोजक जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

(अर्चना सिंह)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–2(ई.सी.227)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2020/डी–19 दिनांकः 29.1.2020

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैः–

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
5	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
6	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
7	जिला कलक्टर	जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
8	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
9	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग,जयपुर।
11	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
12	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
13	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	निदेशक (अभियांत्रिकी–प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
15	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
16	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
17	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
18	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	उपायुक्त जोन..........	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	सिस्टम एनालिस्ट	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	सहायक निदेशक (जन–सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

परिशिष्ट - "अ"

Jaipur Development Authority, Jaipur

क्रमांक:प-2 (ई.सी. 227,25)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2020/डी-19 दिनांक 29.1.2020

Decision of Executive Committee cum Second Appellate Authority, JDA, Jaipur for the work of "License for Operation and Maintenance (O&M) of 2-level underground parking complex at Ramniwas Garden, Jaipur"

In the matter of Appeal made by M/s Sushila Trading Corporation

The parties hereunder may be referred as under:

1. **M/s Sushila Trading Corporation – Appellant**
2. **Jaipur Development Authority through Executive Engineer (RRP-II) – Respondent No.1**
3. **M/s Akhtar Enterprises – Respondent No.2**

Order

Appeal was filed by Mrs. Sushila B. Shukla, Proprietor of M/s Sushila Trading Corporation before Executive Committee cum Second Appellate Authority, JDA, Jaipur against disqualification of the bid of M/s Sushila Trading Corporation for the work of "License for Operation and Maintenance (O&M) of 2-level underground parking complex at Ramniwas Garden, Jaipur"

Hearing on appeal was held on 27.01.2020 in the Manthan Hall of JDA at 12.30 PM. Shri Pradeep Yadav on behalf of Appellant M/s Sushila Trading Corporation and Shri Akhtar Hussain, Proprietor of M/s Akhtar Enterprises along with his advocate were present before the Executive Committee cum Second Appellate Authority, JDA, Jaipur .

Following arguments were made by the Representatives of Appellant and Respondent No. 2:-

(A) Arguments made by the Representative of Appellant

1. The appellant has 5 year experience by way of getting the license of car parking at "Choudhary Charan Singh International Airport", Lucknow from 15.01.2010 to 28.05.2015. The photocopy of the experience certificate issued by Airport Authority of India, Lucknow, was enclosed with the

tender documents submitted during bid. The "Financial Year" mentioned in Clause 5(i) of bid document for assessing the technical eligibility criteria should be year 2016-17 in place of 2017-18. Hence the bid of Appellant has been wrongly disqualified. Instead, bid should be declared as technically qualified in favour of M/s Sushila Trading Corporation.

2. The Appellant has submitted the financial offer of Rs. 13.66 lacs per month in the tender and by disqualifying the bid; Respondent No.1 has suffered financial loss.

3. Respondent No.1 cancelled the tender two times without assigning any reasons.

(B) Arguments made by the Representative of Respondent no. 2

1. The Appellant do not have any statutory right to file appeal under Rajasthan Transparency Public Procurement Act, 2012 (hereinafter referred to as Act of 2012). In this context, it is submitted that in terms of the provision of Section 38, the first appeal and the second appeal are not maintainable.

2. The tendering authority i.e Respondent No.1 had rightly observed that as per clause 5 (i) of bid document, the document submitted by the Appellant for satisfying the three years experience are not in accordance to the technical criteria mentioned in the bid document. Bid was issued on 3rd August 2018, therefore the last financial year starts from 2017-2018 and will continue backward till 2013-2014. The contention of the Appellant that the financial year should start from 2016-2017 & backward is therefore untenable in law.

3. The Appellant has neither disclosed various pending government dues during submission of bid nor disclosed that the Appellant was blacklisted by specific order of Mira-Bhaindar Municipal Corporation for indefinite period. The Appellant has concealed the facts.

4. The Appellant is also debarred by Airport Authority of India vide letter dated 08.01.2019 for a period of three years w.e.f. 08.01.2019 due to submission of counterfeit of B.G.

(C) Facts submitted by the Respondent no. 1

1. The Appellant in their bid had submitted only one experience certificate of 5 years of Airport Authority of India of Lucknow Airport from 15.01.2010 to 28.05.2015. But the relevant experience, out of these 5 years (15.01.2010 to 28.05.2015) according to eligibility criteria of clause 5(i) of bid document is only **2 year 1 months and 28 days against the required total 3 years experience in the last five financial years.** The bid of M/s Sushila Trading Corporation was disqualified by the committee as per the Clause 5(i) of eligibility criteriaat page no. 4 of tender document which is reproduced as under :-

"The Bidders should possess total three years' experience during last 5 financial years in operating, managing and maintaining parking lots under the Central or State Government/Semi Govt. Organization/Municipal Corporations/Nagar-palika, Central or State Public Sector Undertakings Organizations."

The explanation for disqualification of the bidder M/s Sushila Trading Corporation as per clause 5(i) of eligibility criteria is as under:-

- The NIB for this work was issued on 03.08.2018, therefore the current financial year under consideration is 2018-19 for this tender and last 5 financial years as required in eligibility criteria in tender document as per clause 5 (i) are as below :-
  Ist Financial Year - 2017-18
  IInd Financial Year - 2016-17
  IIIrd Financial Year - 2015-16
  IVht Financial Year - 2014-15
  Vth Financial Year - 2013-14
- M/s Sushila Trading Corporation submitted only one experience certificate in their bid. According to the experience certificate, the

relevant experience of operating, managing and maintaining parking lots in last 5 financial years can only be considered from 01.04.2013 to 28.05.2015. Therefore total experience in last five financial years comes to 2 years 2 months and 28 days as calculated below:

01.04.2013 to 31.03.2014 - 1 Year

01.04.2014 to 31.03.2015 - 1 Year

01.04.2015 to 28.05.2015 - 1 Month & 28 Days

Therefore total relevant experience of M/s Sushila Trading Corporation in last five financial years is 2 years 2 months and 28 days.

- Since M/s Sushila Trading Corporation does not possess total three years' experience during last 5 financial years in operating, managing and maintaining parking lots under the Central or State Government/Semi Govt. Organization/Municipal Corporations/ Nagarpalika Central or State Public Sector Undertakings organizations as per eligibility criteria clause 5(i) at page no 4 of tender document so their bid was considered as technically disqualified bid.

2. As the Appellant did not fulfil the technical eligibility criteria as per Clause 5(i) of bid document, it was disqualified and financial bid was not opened. Since the financial bid of the Appellant was not opened, there is no way of knowing about the financial offer of the Appellant. The work is awarded to the technically qualified bidder who quoted highest rates in the bid. So there is no question of financial loss to the JDA.

3. The entire tendering process was very fair and transparent. The tender of above said work was rejected two times earlier also. The reasons of rejecting the tender are as below:-

(a) The first tender vide NIB No. 02/2017-18 dated 27.11.2017 was rejected by the technical committee. The decision/observations of committee is reproduced as under:-

*The committee is of the view that the criteria **"The Bidders should possess total three years experience during last 5 financial years in operating, managing and maintaining underground***

multilevel parking lots with automatic gates (Boom Barrier) at entry and exit points equipped with computerized ticketing system" *is having ambiguity and need to be revisited and redrafted to encourage more participation. Also, while drafting the criteria the terms and conditions of multilevel parking of Secretariat, SMS Hospital etc. be studied. The committee decided to get the minutes of committee be perused by JDC.*

(b) The second tender vide NIB 01/2018-19 dated 10.04.2018 was cancelled due to agitation of the Vyapar Sangh and the then MLA Sh. Mohan Lal Gupta against increasing the rates of monthly passes. As per the discussion with Vyapar Sangh representative of walled city markets along with MLA Sh. Mohan Lal Gupta a meeting under the chairmanship of JDC was held on 17.07.2018 for finalization of parking charges of Ram Niwas bagh underground parking. As the tender was received on 01.06.2018, it was not possible to revise the parking charges and therefore the tender was cancelled.

The Executive Committee Cum Second Appellate Authority have gone through the arguments of the Appellant, Respondents No.2 and facts submitted by the Respondent No.1. It is clear that in accordance to the technical eligibility criteria "the bidders should possess total three years experience during last five financial years in Operating, Managing and Maintaining parking lots under the Central or State Govt./Semi Govt. Organization/Municipal Corporation/Nagar-Palika, Central or State Public Sector". As the bids were issued on 3rd August 2018, the last five financial years start from 2017-18 and will be counted backwards till 2013-14. The contentions of Appellant that the last five financial years should be counted from 2016-17 backwards does not hold ground merely because this financial year 2016-17 was used for looking at positive net worth of the prospective bidders under clause 5(v) of eligibility criteria.

There is very specific logic for keeping year 2016-17 as the year for looking at net worth of prospective bidders because audited balance sheets for year

2017-18 may not be available for many of prospective bidders at the time of submission of bid in August, 2018. But same logic cannot be applied to the five year experience criteria. The eligibility criteria on above was very clearly stated in the bid document and was clarified in the pre-bid meeting also. In view of the above, **Executive Committee cum Second Appellate Authority, JDA, Jaipur** agree with the order passed by the First Appellant Authority and appeal of the Appellant M/s Sushila Trading Corporation is hereby rejected.

Appellant may be informed accordingly.

(T. Ravikant)
Chairperson (Executive Committee)
cum Second Appellant Authority
JDA, Jaipur

Copy to :-

1. M/S Sushila B. Shukla, Proprietor M/s Sushila Trading Corporation, Thane, Mumbai- 401107.
2. M/S Akhtar Enterprises, Proprietor, Sakinaka, Mumbai- 400072.
3. Director (Engineering-I), JDA, Jaipur.
4. Joint Commissioner (SM), JDA, Jaipur.
5. Executive Engineer(RRP-II), JDA, Jaipur.

(Archana Singh)
Secretary
Jaipur Development Authority, Jaipur